कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 13 / 2025

मो0 जिलसाज निवासी रथ नगर अलवर राज0 मोबा. नं0 7051789715

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 30.04.2025**

अपीलार्थी मो0 जिलसाज निवासी रथ नगर अलवर राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन लोक सूचना अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्रांक / कोर्ट / 25 / 344 दिनांक 24.04.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने अथवा नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से पत्रांक सू.का.अ. / निर्वा. / 2025 / 147 दिनांक 28.04.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 28.04.2025 का अवलोकन किया गया, रेस्पो0 द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है किः—

> ''........प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.03.2025 को उपखण्डधिकारी भरतपुर को ऑनलाईन आवेदन भिजवाया जाकर ग्राम पंचायत खेस्ती, पंचायत समिति नगर जिला भरतपुर हाल जिला डीग की पंचायत चुनाव...

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 13 / 2025
मो. जिलसाज बनाम उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर

.....2015 के नोमीनेशन फॉर्म, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई थी। उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपीलार्थी को विनिश्चय से तत्समय ही अवगत कराया गया कि आपके द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भरतपुर के आदेश क्रमांक निर्वा. / रद्दी / 2023 / 873 दिनांक 13.02.2023 के आदेशानुसार पंचायत चुनाव 2015 पंचायत से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड (न्यायालय में लम्बित निर्वाचन याचिका के रिकार्ड को छोडकर) रद्दी घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। ....''

लोक सूचना अधिकारी उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब के साथ संलग्न कार्यालय आदेश दिनांक 13.02.2023 के अवलोकन से जाहिर है कि पंचायत चुनाव 2015 से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड को रद्दी घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे साथ ही आदेश की एक प्रति लोक सूचना अधिकारी उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को भी प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर